DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— **THE INDIAN EXPRESS,** SATURDAY, OCTOBER 22, 2022

DDA pitch: Cut trees in Delhi, plant them elsewhere

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, OCTOBER 21

CAN COMPENSATORY afforestation for projects of the Union government or public sector units (PSUs) that entail tree felling in Delhi be done in neighbouring states, as the Delhi Development Authority (DDA) requested? The call will be taken on a "case to case basis", the Forest Advisory Committee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) decided at a recent meeting.

According to the minutes of the committee's meeting held last month, the Chairman of the DDA had requested in a letter dated March 30 "to relax para 2.3(v) of the guidelines to allow CA (compensatory afforestation) over degraded forest land in neighbouring States of Delhi for projects of Central government/PSUs in Delhi citing scarcity of land in Delhi".

As per the Forest (Conservation) Rules, 2022, a State or Union Territory having forest cover more than 33% of their geographical area can undertake compensatory afforestation in another State or UT having forest cover less than 20%, the minutes of the committee's meeting noted. According to the India State of Forest report 2021, Delhi has a forest cover of 13.15%, which is less than the 33% mandated by the rules to be able to undertake compensatory afforestation in another State or UT.

The minutes of the meeting also stated that a request was received from the Chief Minister of Madhya Pradesh that it will not be possible for the state to allow compensatory afforestation of other States or UTs due to the ceiling of 20% of forest cover prescribed in the rules. As per the India State of Forest report 2021, Madhya Pradesh has a forest cover of 25.14% of its geographical area.

Since a similar situation of high "urbanisation level" and forest cover less than 33% of geographical area also exists in other UTs like Chandigarh, Daman and Diu and Puducherry, "such UTs may also request that they be allowed to raise CA in other States and UTs", according to the minutes.

On the decision of the committee, the minutes said: "Therefore, the Committee recommended that in cases where raising of CA is not possible in the same State/UT where diversion of forest land is proposed due to scarcity of land and on account of any other valid reasons, the Ministry, in such cases, on case to case basis, may allow raising of CA in other States/UTs, in public interest. Ministry may issue a clarification in this regard."

"The recommendation of the FAC is that in general, we will stick to the policy. In general, we are not going to deviate from the Rule. But we can take this on a case-to-case basis. We are not sweepingly going to deviate from the guideline, and this will only be considered on a case-to-case basis," said a source in the MoEFCC.

"There are two riders — states which have 33% of forest and they don't have non-forest land for plantation can opt for CA in other states. There's another rider that they should take up CA in those states where forest cover is less than 20%... that is, forest cover is scanty. So that plantation will be done in those states with less forest cover. The committee received representation from two types of States, one like Delhi with the population and design of National Capital Territory, and one from MP, which won't qualify to take plantations from other States," the source said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2022 ----------DATED----------

अनंगताल को मिलेगी ऐतिहासिक पहचान

वी के शुक्ला ● नई दिल्ली

राजधानी को दिल्ली नाम देने वाले राजा अनंगपाल के अनंगताल को जल्द ऐतिहासिक पहचान मिलने की उम्मीद है। दस एकड़ में विकसित किए जा रहे इस ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सुझाव व आपत्तियां भेजने की समय सीमा 22 अक्टूबर बीत चुकी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) इन आपत्तियों व सुझावों पर विचार करने के बाद अब जल्द ही इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। यह पूरी प्रक्रिया दो माह में पूरी कर ली जाएगी।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर महरौली के पास 10 एकड़ में अनंगताल को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन तरुण विजय ने इसके लिए पहल की है। एलजी वीके सक्सेना ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए डीडीए को निर्देश दिए हैं। ताल को एएसआइ संरक्षित करेगा व आसपास के इलाके को डीडीए विकसित करेगा। 10 एकड़ का यह पूरा इलाका अनंगताल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा।

अनंगताल को दस एकड़ में विकसित किया जा रहा है ● जागरण

राजा अनंगपाल ने बनवाया था ताल

तोमर राजा अनंगपाल ने अनंगताल को बनवाया था। उनके विशाल किला लालकोट की दीवारें दक्षिणी दिल्ली में कुछ स्थानों पर मिलती हैं। इसके कई प्रमाण मिले हैं कि अनंगताल ने ही इस शहर को 1052 ई में बसाया था और ढिल्लिका नाम दिया था, जो धीरे-धीरे दिल्ली बन गया।

मंदिर पर ताला लगाने को लेकर आप और भाजपा आमने-सामने

- भाजपा ने ईस्ट आफ कैलाश स्थित दुर्गा माता मंदिर में लगवाया ताला : आप
- मंदिर बंद करवाने में कालकाजी से आप विधायक आतिशी का हाथ : भाजपा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : दिल्ली नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच अब मंदिर पर सियासत शुरू हो गई है। कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाया है भाजपा ने ईस्ट आफ कैलाश स्थित दुर्गा माता मंदिर पर ताला लगवा दिया है। आतिशी ने शनिवार को ईस्ट आफ कैलाश के सीएसपी फ्लैट्स के दुर्गा माता मंदिर को बंद करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा को हिंदू विरोधी बताया।

दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि इस मंदिर को बंद करवाने के लिए विधायक आतिशी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन पर दबाव डालकर मंदिर का गेट बंद करवा दिया। राजपाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) का हिंदू विरोधी एजेंडा पूरे देश को पता है। इस घटना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी विधायक आतिशी का हिंदू विरोधी चेहरा दिल्लीवासियों के सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का गेट जल्दी नहीं खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा।

दरअसल, आतिशी ने कहा था कि इस मंदिर में लोग वर्षों से पूजा-पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन डीडीए ने इस मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया है। डीडीए भाजपा के अंतर्गत आती है। आतिशी ने कहा कि उन्हें ईस्ट आफ कैलाश की एक स्थानीय निवासी ने बताया कि भाजपा के लोग इससे पहले भी दुर्गा माता मंदिर में ताला लगाने आए थे। तब भाजपा ने कहा था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और आज भाजपा की डीडीए ने मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया।

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। 23 अक्टूबर 2022

बीजेपी ने जड़ा ईस्ट ऑफ कैलाश के दुर्गा माता मंदिर पर तालाः आतिशी

■ **विस, नई दिल्ली:** कालकाजी विधायक आतिशी ने शनिवार को ईस्ट ऑफ कैलाश के सीएसपी फ्लैट्स के दुर्गा माता मंदिर को बंद करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और हिंदू विरोधी बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी खुद को हिंदू धर्म और प्रभु राम का अनुयायी बताती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के प्राचीन समय से चले आ रहे मंदिरों को बंद कर रही है।

उन्होंने कहा कि ईस्ट ऑफ कैलाश के दुर्गा माता मंदिर में लोग व श्रद्धालु कई वर्षों से पूजा-पाठ करते आ रहे हैं। मैंने दुर्गा माता मंदिर के गेट को श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुला हुआ देखा है। आज डीडीए की तरफ से इस मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया गया, जो शर्मनाक है। डीडीए केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। मंदिर के सील होने से इलाके के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इससे पहले भी श्रीनिवासपुरी और सरोजिनी नगर के मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। आतिशी ने कहा कि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इससे पहले भी दुर्गा माता मंदिर में ताला लगाने आए थे तब बीजेपी ने कहा था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और आज जब डीडीए ने दुर्गा माता मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया तो बीजेपी और उनके

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- हिन्दुस्तान ---- नई दिल्ली, रविवार, 23 अक्तूबर 2022

डीडीए पर यमुना किनारे जमीन मुहैया न कराने का आरोप

छठ पूजा के लिए घाटों की जमीन पर विवाद

तकरार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में छठ पूजा मनाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद छठ घाट बनाने को लेकर जमीन से जुड़ा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से दिल्ली में रामलीला मैदान और मेला स्थलों को घाट बनाने के लिए चिन्हित किया गया है, वहीं दिल्ली सरकार यमुना किनारे घाट बनाना चाहती है।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कई जगह डीडीए की ओर से जमीन मिलने में समस्या आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि डीडीए ने ज्यादातर जमीनों को छठ पूजा के लिए पहले ही आरक्षित कर दिया है। हालांकि, डीडीए अधिकारियों का कहना है कि डीडीए ने इस वर्ष कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई है, डीडीए जो सालों से करती है, वही इस बार किया जा रहा है।

एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने दी थी मंजूरी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यमुना घाटों पर छठ पूजा के आयोजन की मंजूरी दी थी। यमुना किनारे पर छठ पूजा आयोजन को लेकर राजस्व मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान यमुना नदी में कोई भी प्रदूषणकारी सामग्री विसर्जित न हो। इसके लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं। छठ पूजा आयोजन के दौरान एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।

संस्थाओं ने उठाए सवाल : कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाए एक सवाल कर रही हैं कि सिर्फ रामलीला-मेला के लिए ही स्थान आरक्षित क्यों किये गए हैं, जबकि डीडीए ग्राउंड पर कई स्थानों पर जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, छठ पूजा का आयोजन होता आया हैं। अब ये संगठन मांग कर रहे हैं कि जिस तर्ज पर रामलीला-मेला के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया हैं, उसी तरह दुर्गा पूजा, छठ पूजा व अन्य त्योहारों-पूजा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि उन आयोजकों के लिए आरक्षित कर दी जाएं जो वहां पिछले 8-10 वर्षों से पूजा आयोजन करते आए हैं।

दिल्ली धार्मिक संघ ने की थी मांग : बीते दिनों दिल्ली धार्मिक महासंघ के निवेदन पर डीडीए ने उन स्थानों को आरक्षित किया है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों से रामलीला-मेला आयोजित होता आया है। इन आरक्षित स्थानों पर वही संस्थाए रामलीला-मेला आयोजित कर सकती हैं, जो पहले से वहां पर रामलीला-मेला आयोजित करती आई हैं और जिनका नाम दिल्ली धार्मिक महासंघ की सूची में प्रदर्शित हैं।

मंदिर पर ताला लगाने का आरोप

नई दिल्ली, व. सं. । कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने शनिवार को ईस्ट ऑफ कैलाश के सीएसपी फ्लैट्स के दुर्गा माता मंदिर को बंद करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

आतिशी ने कहा कि दुर्गा माता मंदिर के गेट को श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुला हुआ देखा है। आज डीडीए द्वारा इस मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया गया जो कि शर्मनाक है। डीडीए भाजपा के अंतर्गत आती है। मंदिर के सील होने से इलाके के लोगों में गुस्सा है।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद को हिन्दू धर्म और प्रभु राम का अनुयायी बताती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के प्राचीन समय से चले आ रहे मंदिरों को बंद कर रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2022 दैनिक जागरण III

शहरी क्षेत्र के साथ गांवों का भी विकास चाहते हैं दिल्ली के लोग

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

अर्बन रिजेनरेशन प्लान से पहले दिल्ली के लोग विलेज डेवलपमेंट प्लान चाहते हैं। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्र के साथ गांवों का भी विकास होना चाहिए, तभी राजधानी का सही मायनों में विकास होगा। दरअसल, दिल्ली डिवेलपमेंट एक्ट-1957 में प्रस्तावित संशोधनों के ड्राफ्ट पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को अब तक 200 से अधिक सुझाव और आपत्तियां मिल चुकी हैं। अगस्त के अंत में पब्लिक डोमेन में डाले गए इस ड्राफ्ट के संशोधनों को कुछ लोगों ने अच्छा बताया है तो कुछ ने इन पर चिंताएं भी जाहिर की हैं। अब इन सभी सुझाव और आपत्तियों की समीक्षा की जा रही है।

किसान हो सकते हैं खिलाफ

किसान वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार लैंड पूलिंग पालिसी में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने से किसान और भू मालिक इसके खिलाफ हो सकते हैं। खासतौर पर ऐसे भू मालिक जो इस पालिसी में हिस्सा नहीं ले सकते। वह कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। साइकल (सेंटर फार यूथ एंड ला एंड एनवायरमेंट) के अनुसार इस ड्राफ्ट को लाने से पहले नजफगढ़ और अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार विलेज डिवेलपमेंट प्लान भी लेकर आए। अर्बन रिजेनरेशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के पास उनकी जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। अभी ग्रामीण लोग इससे वंचित हैं।

ग्रामीणों की ओर से दिए गए सुझाव

- दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्र के लोगों को अभी भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। यह सभी गांवों के लिए लाभदायक और जरूरी है।
- भूमिहीन और अन्य ग्रामीणों के लिए ड्राफ्ट में कोई विकल्प नहीं दिया गया है। ग्राम सभा की भूमि में से भूमिहीनों को रिहायशी और व्यावसयिक जमीन दी जानी चाहिए।
- लैंड पूलिंग पालिसी के तहत कंसोर्टियम न बनाकर हरियाणा की तर्ज पर लैंड पूलिंग के जरिये किसानों को कृषि जमीन के बदले रिहायशी और व्यावसायिक प्लाट देने की योजना बनाकर कार्य शुरू किया जाए।
- दाखिल खारिज के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 40 जमीन मुफ्त में लेकर 60 प्रतिशत का लालच देना किसानों के साथ अन्याय करने जैसा है। इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए।

दिल्ली को सही मायनों में वर्ल्ड क्लास बनाने और इसके पुनर्विकास में आ रही अड़चनें दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट पर आए सुझाव और आपत्तियों को लेकर जन सुनवाई भी होगी और फिर इसका फाइनल प्रारूप स्वीकृति के लिए संसद में लाया जाएगा। संसद में पास हो जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इसके क्रियान्वयन के लिए नियम कायदे तैयार करेगा।

ड्राफ्ट पालिसी के अनुसार शहरीकृत गांव में लैंड पूलिंग में हिस्सा लेना भू-मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। अभी अर्बन री डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट और लैंड पूलिंग में हिस्सा लेना भू मालिकों के लिए आवश्यक नहीं है। यही वजह है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई है। डीडी एक्ट में बदलाव का असर अनधिकृत कालोनियों पर भी होगा। इनको पुनर्विकसित करने में ये संशोधन मददगार होंगे। डेढ़ हजार से अधिक ऐसी कालोनियों में अधिकांश में सड़कें, पार्क, गलियां, सामुदायिक भवन आदि की सुविधाएं नहीं हैं। स्थानीय लोगों के बीच सहमति बनाकर इन कालोनियों को नए सिरे से विकसित किया जा सकेगा। इससे सुविधाएं भी बढ़ेंगी।

प्रदूषण फैलाने पर गावर कंस्ट्रक्शन पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

सीलमपुर के एसडीएम ने ग्रेप नियमों के तहत की कार्रवाई

- खुले में रखी गई थी निर्माण सामग्री, उड़ती धूल को रोकने नहीं थे इंतजाम
- कंपनी को हिदायत, प्रदूषण रोकने के इंतजाम नहीं किए तो साइट होगी बंद

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का निर्माण कार्य कर रही गावर कंस्ट्रक्शन पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में सीलमपुर के एसडीएम ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सात दिन के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी जिले में इस वर्ष का यह यह सबसे बड़ा जुर्माना है, जो प्रशासन की ओर से प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी पर लगाया गया है।

एसडीएम शरत कुमार ने बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) ग्रेप लागू है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का काम गावर कंस्ट्रक्शन कर रही है। कंपनी ने शास्त्री पार्क में डीडीए की जमीन पर अपनी साइट बना रखी है, जहां पर निर्माण कार्य के लिए सामग्री तैयार की जा रही है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि साइट पर ग्रेप के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वहां निर्माण सामग्री खुले में रखी हुई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। शिकायत सही पाए जाने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कंपनी ने प्रदूषण से निपटने के इंतजाम नहीं किए तो साइट को बंद करवा दिया जाएगा।

शास्त्री पार्क स्थित गावर कंपनी की साइट पर खुले में रखी निर्माण सामग्री • जागरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, OCTOBER 24, 2022 ----------DATED----------

Open drains: Dwarka residents register FIR against DDA engineer

Siddhanta.Mishra
@timesgroup.com

New Delhi: Residents of Dwarka are up in arms against Delhi Development Authority (DDA) for not taking up the project of covering drains, which poses a "grave risk" to life.

In the past few months incidents of residents falling into these open drains and injuring themselves have surfaced, which have triggered fear among the residents.

Earlier this month, 56-year-old Sudha Devi was returning from Dusshera mela in Dwarka sector 13, when she fell into an open drain around 7pm. According to the police investigation, when the woman was walking on the footpath she could not see the missing lid over the drain and fell into it as the area was poorly lit. Passersby brought the woman out of the drain and took her to a hospital, she was declared dead on arrival.

A RESIDENT SAYS

We have sent many reminders to DDA officials, but nothing has changed

However, when no action was taken against the growing menace of open drains despite repeated requests, the All Dwarka Residents Federation registered an FIR against a chief engineer of Delhi Development Authority of Dwarka zone.

"We have repeatedly urged DDA officials to take immediate precautionary measures to ensure such incidents do not occur. The authority is not taking any accountability of the persons injured and the lady who died after falling into an open drain," said Amit Bhandari, vice-president of the federation.

In July this year, Jagmohan Verma, who lives with his family in Dwarka's Astha apartment in sector 6, was out for a walk around 8 in the evening when he fell into an open manhole. The footpath was poorly lit as trees covered the street lights and Verma didn't see manhole. He, somehow, got hold of an iron grill at the opening of the hole and pulled himself out with help from passersby.

"We have sent many reminders to DDA officials, but nothing has changed. The residents fear for their safety, senior citizens and children can't go out for a walk or for playing without worrying about falling into the drains," added Bhandari.

DDA did not respond to questions regarding the matter.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
23 अक्तूबर, 2022 ▶ रविवार

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED-

अमर उजाला

एमसीडी चुनाव में जनता देगी भाजपा को जवाबः आतिशी

जड़ा ईस्ट ऑफ कैलाश के दुर्गा माता मंदिर पर तालाः आतिशी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने शनिवार को ईस्ट ऑफ कैलाश के सीएसपी फ्लैट्स के दुर्गा माता मंदिर को बंद करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। विधायक आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी को हिन्दू विरोधी बताया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा खुद को हिन्दू धर्म और प्रभु राम का अनुयायी बताती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के प्राचीन समय से चले आ रहे मंदिरों को बंद कर रही है। उन्होंने बताया कि ईस्ट ऑफ कैलाश के दुर्गा माता मंदिर में लोग व श्रद्धालु कई वर्षों से पुजा-पाठ करते आ रहे हैं। मैंने दुर्गा माता मंदिर के गेट को श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुला हुआ

देखा है। आज डीडीए (दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा इस मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया गया जो कि शर्मनाक है। डीडीए भाजपा के अंतर्गत आती है। मंदिर के सील होने से इलाके के लोगों में गुस्सा है। आतिशी ने आगे कहा कि भाजपा कहती रहती है कि हम प्रभु राम के लिए मंदिर बनाएंगे और हम कट्टर हिन्दू हैं। आज वही पार्टी खुद ही हिन्दू धर्म के प्राचीन मंदिरों को सील कर रही है।

भाजपा ने इससे पहले भी श्री निवासपुरी और सरोजिनी नगर के मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। आतिशी ने कहा कि उन्हें ईस्ट ऑफ कैलाश की एक स्थानीय निवासी ने बताया कि भाजपा के लोग इससे पहले भी दुर्गा माता मंदिर में ताला लगाने आए थे, तब भाजपा ने कहा था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और आज जब भाजपा की डीडीए ने दुर्गा माता मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया तो भाजपा और उनके नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है।

'भाजपा देश की सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी'

नई दिल्ली। कालकाजी से विधायक आतिशी ने ईस्ट ऑफ कैलाश के सीएसपी फ्लैट्स के दुर्गा माता मंदिर को बंद करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भाजपा को हिंदू विरोधी बताया। कहा कि भाजपा नेता एक तरफ खुद को हिंदू धर्म और प्रभु राम का अनुयायी बताते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं के प्राचीन समय से चले आ रहे मंदिरों को बंद करा रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि ईस्ट ऑफ कैलाश के दुर्गा माता मंदिर में श्रद्धालु कई वर्षों से पूजा-पाठ करते आ रहे हैं। शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया, जो बेहद शर्मनाक है। मंदिर के सील होने से इलाके के लोगों में गुस्सा है। इससे पहले भी श्री निवासपुरी और सरोजिनी नगर के मंदिरों को तोड़ने का काम भाजपा ने किया था। आतिशी ने भाजपा को देश की सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी बताया और कहा कि मंदिरों को बंद करने का काम सिर्फ यही राजनीतिक पार्टी कर सकती है। इसका जवाब दिल्ली की जनता आने वाले एमसीडी चुनाव में जरूर देगी। ब्यूरो